
	कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक:-	एफ-5()कार्मिक/सा.प्र./ननिज/2021/ 1254 दिनांक:- 02.12.2021

कार्यालय आदेश

श्रीमती कृष्णा शर्मा, पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, केन्द्रीय शाखा नगर निगम ग्रेटर जयपुर की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज जन्म दिनांक 15.04.1962 के अनुसार इनकी अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष दिनांक 15.04.2022 को पूर्ण होने के कारण राजस्थान सेवा नियम 1951 के उप नियम 56 के अन्तर्गत दिनांक 30.04.2022 को मध्याह्न पश्चात् नगर निगम ग्रेटर जयपुर की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाता है।


यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरिनामित श्रीमती कृष्णा शर्मा, पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विरुद्ध आज तक:-

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 03. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


 (सन्तोष कुमार गोयल)
 उपायुक्त (कार्मिक)
 नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. कार्यालय अधीक्षक
8. संस्थापन लिपिक
9. सम्बन्धित श्री.....
10. ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर.
11. गार्ड फाईल


 उपायुक्त (कार्मिक)
 नगर निगम ग्रेटर जयपुर